

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी
समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पांडेय'

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 06/2010
संस्थित दिनांक- 04.01.2010

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-
आरक्षी केन्द्र-ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.अभियोजन

वि रू द्ध

1. पप्पु पिता गोरेलाल उर्फ गौरीशंकर,
आयु-28 वर्ष, व्यवसाय-खेती,
निवासी ग्राम टोंककला, जिला देवास
2. राजेश उर्फ राकेश पिता अजयसिंह,
आयु-28 वर्ष, व्यवसाय-खेती,
निवासी ग्राम टोंककला, जिला देवासअभियुक्तगण

अभियोजन द्वारा	- ए.डी.पी.पी.ओ. श्री अकरम मंसूरी ।
अभियुक्तगण द्वारा	- श्री विशाल कर्मा अधिवक्ता ।

-: निर्णय :-
(आज दिनांक 05/07/2016 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 111/09 अंतर्गत धारा-457, 380 एवं 411 भा.द.वि. में प्रस्तुत अभियोग-पत्र के आधार पर उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 26 एवं 27.05.09 की मध्यरात्रि में रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे के मध्य देवाना रोड़ ठीकरी में स्थित वैदेही गैस एजेंसी के गोदाम से जो संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता है, लोहे का वैटिलेशन निकालकर चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित करने तथा वहां रखी 107 एच.पी. गैस की टंकिया सक्षम व्यक्ति की अनुमति के बिना बेईमानीपूर्वक लेने के आशय से हटाकर चोरी करने के लिये भा.द.वि. की धारा-457, 380 का अपराध विचारणीय है ।
2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था तथा यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण के शेष आरोपी वसीम, मिथुन, रशीद एवं अंतिम जैन को इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.15 को निर्णय घोषित करते हुए दोषमुक्त किया गया है तथा अब अभियुक्तगण पप्पू एवं राजेश उर्फ राकेश के उपस्थित होने पर उनका निर्णय घोषित किया जा रहा है ।

3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी चंद्रशेखर वैदेही गैस एजेंसी ठीकरी में मैनेजर के पद पर पदस्थ था, दवाना रोड़ पर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर वैदेही गैस गोडाउन है, जहां एच.पी. कंपनी की भरी तथा खाली गैस टंकिया रखी जाती है । उक्त गोडाउन में 435 टंकिया खाली, 217 टंकिया भरी तथा 19 के.जी., 126 के.जी. तथा 5 के.जी. की 8 गैस टंकिया रखी हुई थीं । घटना दिनांक 26-27.05.09 को रात्रि लगभग 9:00 बजे फरियादी चंद्रशेखर चेक कर गोडाउन में ताला लगाकर आ गये थे । प्रातः 10:00 बजे फरियादी चंद्रशेखर, सचिन, महेन्द्र गुप्ता, रतिलाल राठौड़ एवं चालक विनोद वाहन लेकर गोडाउन पर गैस टंकिया लेने गये, जहां गेट तथा गोडाउन का ताला खोलकर अंदर गये और देखा कि गोडाउन का उत्तर दिशा का नीचे का लोहे का वेंटिलेशन निकला होकर दीवार में छेद दिखाई दिया तथा टंकिया चेक करने पर 107 गैस टंकिया नहीं थी, जिसे रात्रि में कोई अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वेंटिलेशन तोड़कर गैस गोडाउन में घुसकर गैस की टंकिया चुराकर ले गये । पुलिस ने फरियादी चंद्रशेखर द्वारा दी गयी घटना की सूचना के आधार पर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 111/09 अंतर्गत धारा-457, 380 भा.द.वि. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी.1 लेखबद्ध की गयी । अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी चंद्रशेखर की निशांदाही से घटनास्थल का नक्शा-मौका पंचनामा प्र.पी.2 बनाया, अभियुक्त अंतिम जैन से पूछताछ कर धारा-27 साक्ष्य विधान के ज्ञापन क्रमशः प्र.पी.3 एवं प्र.पी.4 बनाये, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त वसीम, राकेश एवं पप्पु से पूछताछ कर धारा-27 साक्ष्य विधान के ज्ञापन क्रमशः प्र.पी.7, प्र.पी.8 एवं प्र.पी.9 बनाये । अभियुक्त रशीद शाह, वसीम से पूछताछ कर धारा-27 साक्ष्य विधान के ज्ञापन क्रमशः प्र.पी.14, प्र.पी.15 बनाये । पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त अंतिम जैन से एच.पी. कंपनी की खाली 20 गैस टंकियों को जप्त कर प्र.पी.5 का तथा अभियुक्त अंतिम जैन से एच.पी. कंपनी की 5 गैस टंकियों को जप्त कर प्र.पी.6 का जप्ती पंचनामा बनाया गया । पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त वसीम, रशीद शाह, अंतिम जैन एवं मिथुन को गिरफ्तार कर क्रमशः प्र.पी.10 लगायत प्र.पी.13 के गिरफ्तारी पंचनामे बनाये । पुलिस ने अनुसंधान के दौरान फरियादी चंद्रशेखर, विनोद, रतिलाल एवं सचिन के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा-457, 380, 411 भा.द.वि. में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

4. अभियोग-पत्र के आधार पर मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा उक्त अभियुक्तों पर भा.द.वि. की धारा-457 एवं 380 के अंतर्गत आरोप निर्मित कर पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा । द.प्र.सं. की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्तों का कथन है कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फँसाया गया है, लेकिन अभियुक्तों द्वारा बचाव में किसी भी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है ।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या दवाना रोड़ ठीकरी पर स्थित वैदेही गैस एजेंसी के गैस टंकी गोदाम में दिनांक 26 व 27.05.09 की मध्य रात्रि में 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे के मध्य लोहे का वेंटिलेशन निकाल कर, जो कि संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आने वाले

	गोदाम से वैदेही गैस एजेंसी के आधिपत्य की 107 एच.पी. गैस की टंकिया सक्षम व्यक्ति की अनुमति के बिना बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी तथा प्रच्छन्न गृह अतिचार हुआ था?
2	क्या उक्त चोरी एवं रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार अभियुक्तगण पप्पु एवं राजेश उर्फ राकेश द्वारा कारित की गयी थी ?
3	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

—:: सकारण — निष्कर्ष ::—

6. प्रकरण में अभियोजन की ओर से साक्षी फरियादी चंद्रशेखर (अ.सा.1), साक्षी विनोद (अ.सा.2), रतिलाल (अ.सा.3), प्रदीप (अ.सा.4), तरून (अ.सा.5), हीरालाल (अ.सा.6), निरीक्षक बद्रीलाल भाभर (अ.सा.7) एवं सीताराम चौपड़ा (अ.सा.8) का परीक्षण कराया गया है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण :-

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में साक्षी फरियादी चंद्रशेखर (अ.सा.1) ने अपने कथन में बताया है कि वर्ष 2004 से वैदेही गैस एजेंसी में ठीकरी में मैनेजर है । दिनांक 27.05.09 को प्रातः 9:30—10 बजे वे गैस एजेंसी के गोडाउन दवाना रोड़ पर गये थे । गोदाम जाकर देखा कि नीचे लगे हुए वैटिलेशन की जाली टूटी हुई थी और उपर की कुछ ईंटे भी निकली हुई थीं, उस समय उसके साथ एजेंसी के चार—पांच डिलेवरी वाले व्यक्ति भी थे । गोडाउन का ताला खोलकर वे अंदर गये और देखा कि टूटे हुए वैटिलेशन के पास रखे हुए गैस के भरे हुए सिलेण्डर कम थे । उनके स्टॉक रजिस्टर के मान से 107 सिलेण्डर चोरी हो गये थे । गैस सिलेण्डर को गिनकर भी चेक किया था, कोई अज्ञात व्यक्ति वैटिलेशन की जाली तोड़कर गैस सिलेण्डर चुराकर ले गये थे । उसने थाना ठीकरी पर प्र.पी.1 की रिपोर्ट लिखायी थी । पुलिस ने नक्शा—मौका पंचनामा प्र.पी.2 का बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं ।

8. साक्षीगण विनोद (अ.सा.2), रतिलाल (अ.सा.3) ने भी वैदेही गैस एजेंसी के गोदाम में 107 गैस सिलेण्डर चोरी होने के संबंध में कथन किये हैं । साक्षी सीताराम चौपड़ा (अ.सा.8) ने दिनांक 27.05.09 को थाना ठीकरी में चंद्रशेखर द्वारा उनकी गैस गोदाम में 107 सिलेण्डर चोरी करने की रिपोर्ट लिखाने के संबंध में कथन किये हैं । साक्षी का यह भी कथन है कि उसने अपराध क्रमांक 111/09 प्र.पी.1 का दर्ज किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने प्र.पी.2 का नक्शा—मौका पंचनामा बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उक्त किसी भी साक्षी को बचाव—पक्ष की ओर से यह सुझाव नहीं दिया गया है कि घटना दिनांक, समय पर वैदेही गैस एजेंसी के गोदाम के वहां वैटिलेशन का ताला तोड़कर रात्रि गृह भेदन या गृह अतिचार और वहां रखे 107 गैस सिलेण्डरों की चोरी नहीं हुई थी ।

9. अतः यह प्रमाणित होता है कि उक्त घटना दिनांक, समय पर वैदेही गैस एजेंसी के गोदाम से जो कि संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता है, से लोहे का वेंटिलेशन निकालकर रात्रि गृह भेदन कर वहां रखी 107 एच.पी. कंपनी की गैस टंकिया चोरी हुई थीं ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का निराकरण :-

10. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में फरियादी सीताराम अ.सा.8 का कथन है कि उसने दिनांक 01.12.2009 को अभियुक्त अंतिम जैन से साक्षी प्रदीप एवं तरुण के समक्ष पूछताछ की थी तब उसने पप्पु, राकेश, मिथुन, रसीद व वसीम के द्वारा एच.पी. गैस कम्पनी की 107 भरी हुई टंकिया रुपये 1 लाख में खरीदना बताया था और यह भी बताया था कि 20 गैस की टंकिया भरी हुई सादिक बोहरा निवासी बड़नगर को रुपये 23,00/- प्रतिनग में विक्रय करना बताया था जिसका मेमोरेण्डम प्रदर्शपी 3 का बनाया था जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह दिनांक 02.12.2009 को अभियुक्त अंतिम को साक्षी प्रदीप एवं तरुण के साथ लेकर सादिक बोहरा की दुकान पर पहुँचा जहाँ सादिक के पेश करने पर एच.पी. गैस कम्पनी की 20 टंकिया प्रदर्शपी 5 के अनुसार जप्त की थी, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अंतिम जैन ने दिनांक 03.12.2009 को साक्षी प्रदीप और तरुण के समक्ष अपने द्वारा कय की गई 107 टंकियों में 7 गैस टंकिया अपने घर में छिपाकर रखना होना बताया था, जिसका मेमोरेण्डम प्रदर्शपी 4 का उसने बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह दिनांक 04.12.2009 को अभियुक्त अंतिम के घर माता मंदिर के पास फत्याबाद गोतमपुरा, जिला इन्दौर साक्षी प्रदीप व तरुण को लेकर पहुँचा और उसके घर से 5 एच.पी. कम्पनी की गैस टंकिया प्रदर्शपी 6 के अनुसार जप्त की थी जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि गैस टंकी के ऊपर टंकी के नम्बर लिखे रहते हैं, कौन-कौन से नम्बर की टंकिया चोरी हुई थी उसने उल्लेख नहीं किया है। उसने गैस एजेंसी का स्टॉक रजिस्टर भी जप्त नहीं किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने सादिक, निवासी सुभाष मार्ग बड़नगर को साक्षी नहीं बनाया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि चोरी का माल यह जातते हुए कि वह चोरी की सम्पत्ति है, खरीदना भा.द.स. की धारा 411 का अपराध है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने जो टंकिया जप्त की थी वह अंतिम के घर से जप्त नहीं की थी और अंतिम के आधिपत्य से भी जप्त नहीं की थी, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि सादिक के पेश करने पर अंतिम के बताये अनुसार अंतिम से जप्त की थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि अंतिम प्रतिवेदन पेश करते समय साक्ष्य सूची में मेमोरेण्डम प्रदर्शपी 7 लगायत 9 एवं प्रदर्शपी 14 व 15 में साक्षियों के नाम नहीं लिखे हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने अंतिम के घर से किस स्थान से टंकी जप्त की थी, इसका उल्लेख जप्ती पंचनामें में नहीं किया है, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त ने घर के अंदर से लाकर पेश की थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने इस संबंध में विवेचना नहीं की थी कि कौन से वाहन में टंकिया भरकर अभियुक्त ले गये थे और उसने वाहन मालिक को अभियुक्त नहीं बनाया और उसके कथन भी नहीं लिये। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वाहन मालिक के द्वारा वाहन

किस व्यक्ति को किस कार्य के लिए दिया गया था, इस संबंध में भी विवेचना नहीं की है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह साक्षी तरुण एवं प्रदीप को लेकर बडनगर नहीं गया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसने गैस एजेंसी के मालिक के प्रभाव में आकर असत्य विवेचना की है।

12. बद्रीलाल भाभर अ.सा.7 का कथन है कि उसने अभियुक्तों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था तथा अभियुक्त रसीद से साक्षी रघुनाथ एवं रूमालसिंह के समक्ष पूछताछ कर प्रदर्शपी 14 व 15 का मेमोरेण्डम तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा अभियुक्त वसीम से हीरालाल एवं प्रकाश के समक्ष पूछताछ कर प्रदर्शपी 7 का मेमोरेण्डम तैयार किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि किसी भी प्रकरण की विवेचना कर थाने के रोजनामचा में खानगी एवं वापसी दर्ज की जाती है लेकिन उसने उक्त रोजनामचे की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नहीं की है। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त वसीम, राकेश के मेमोरेण्डम के आधार पर उससे कोई जप्ती नहीं हुई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अपराध में प्रयुक्त किया गया वाहन उसके द्वारा विवेचना के दौरान जप्त नहीं किया गया और मेमोण्डम प्रदर्शपी 5 में वाहन के नम्बर का भी उल्लेख नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अपराध में प्रयुक्त वाहन के स्वामी को प्रकरण में साक्षी नहीं बनाया गया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 14 एवं 15 के मेमोरेण्डम में वाहन का क्रमांक एम.पी. 13 जी.ए. 0359 लिखा है तथा प्रदर्शपी 7 के मेमोरेण्डम में वाहन का क्रमांक एम.पी. 11 जी.ए. 0354 लिखा है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने उसे कोई सूचना नहीं दी थी या उसने असत्य विवेचना की है।

13. प्रदीप अ.सा. 4 तथा तरुण अ.सा.5, हीरालाल अ.सा. 6 अभियुक्तों के मेमोरेण्डम एवं जप्ती पंचनामों के साक्षीगण हैं, लेकिन उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियुक्तों को पहचानने और उनके सामने पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही करने से इंकार कर अभियोजन के मामले का खण्डन किया है। उक्त साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्नपूछे जाने पर भी साक्षियों ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है, साक्षियों ने केवल प्रदर्शपी 3 लगायत 9 के पंचनामों पर अपने हस्ताक्षर थाने पर करना बताया है। साक्षियों ने स्पष्ट किया कि वे पुलिस के साथ कभी भी बडनगर या गौतमपुरा नहीं गये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने पुलिस के कहने पर उक्त हस्ताक्षर थाने पर किये थे।

14. इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि विवेचना अधिकारी द्वारा अभियुक्त की सूचना के आधार पर चोरी की संपत्ति उक्त अभियुक्तों के आधिपत्य से जप्त की गयी थी, क्योंकि अभियुक्तों के जप्ती एवं मेमोरेण्डम के साक्षीगण ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन की ओर से भी इस संबंध में ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे यह प्रमाणित हो कि अभियुक्तगण ने वैदेही गैस एजेंसी के आधिपत्य से एच.पी. गैस की 107 टंकियां चोरी की थी। अभियोजन के साक्षीगण ने पुलिस के साथ जप्ती करवाने के लिये बडनगर जिला उज्जैन या गौतमपुरा जिला इंदौर जाने से स्पष्ट इन्कार किया है और अभियोजन के मामले का पूर्णतः खंडन किया है तथा अभियोजन ने भी यह प्रमाणित नहीं किया है कि उनके द्वारा उक्त संपूर्ण कार्यवाही की गयी थी तथा साक्षीगण जानबूझकर बचाव-पक्ष के समर्थन में कथन कर रहे हैं।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 निष्कर्ष एवं दण्डादेश :-

15. अभियुक्त पप्पु एवं राजेश उर्फ राकेश के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 457, 380 का अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।
16. अतः उक्त अभियुक्तगण पप्पु एवं राजेश उर्फ राकेश को संदेह का लाभ देते हुए धारा 457, 380 भा.द.स. के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
17. अभियुक्तगण का अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रमाण पत्र बनाये जाये।
18. प्रकरण में जप्त एच.पी. गैस के 25 सिलेण्डर अपील अवधि बाद वैदेही गैस एजेन्सी दवाना रोड़ ठीकरी जिला बड़वानी को प्रदान किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

सही /—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला—बड़वानी, म0प्र0

सही /—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला—बड़वानी, म0प्र0